


2017/00366

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री हुकमाराम पुत्र राजूराम मेघवाल निवासी ग्राम पोस्ट हंसेरा तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर : ब ना म : सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू-अभिलेख), लूनकरणसर प्रथम सूचना अपील संख्या 205/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.11.17	<p style="text-align: center;"><b>: निर्णय :</b></p> <p>1. उभयपक्ष हाजिर नहीं।</p> <p>2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 05.07.17 में वर्णित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), लूनकरणसर से चाही गई थी। सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।</p> <p>3. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), लूनकरणसर ने जवाब पत्रांक 3642 दिनांक 20.9.17 में अंकित किया है कि अपीलार्थी/प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक 3639 दिनांक 19.8.17 द्वारा वांछित सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपील औचित्य हीन होने से खारिज फरमाई जावे।</p> <p>4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अभि.), लूनकरणसर द्वारा प्रार्थी/अपीलान्त को प्रेषित की गई सूचना के विपरीत अपीलान्त की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा कि अपीलार्थी सूचना से संतुष्ट है।</p> <p>5. अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।</p> <p>6. निर्णय आज दिनांक 21.11.17 को लिखाया जा कर सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> (अनिल गुप्ता) प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर</p>	